

पत्रावली सं० २/२०

सरकार बनाम लखपत हल्का नारायण

आज्ञा का
दिनांक

आज्ञा या कार्यवाही

पत्र क्रमांक व
दिनांक जो इस
आज्ञा के पालनार्थ
प्रेषित किया

आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री लखपत सोमनाथदास, हल्का नारायण पुत्र श्री एनुमान जाति किराई निवासी सिवला में फसल रबी/खरीफ सम्वत्/सन २०७७ में गांव/चक नं० ७ NP(B) के मु० नं० २५ में बीघा सिंचित व असिंचित कुल ६.२०० बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है।

अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम १९५४ की धारा २२ के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की ५०,२५०० गुणा पेनल्टी राशि रू० ५६५- अखरे रू० चार लाख ५६५- अधिरोपित की जाती है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग कायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बैदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।

तहसीलदार (राजस्व)
रायसिंहनगर